रजिस्टर्ड नं० एल० ए०

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 27 दिसम्बर, 1972

पौष 7, 1894 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग

संख्या 4422/सत्रह-वि०—1-150-72

लखनऊ, 27 दिसम्बर, 1972

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर दिनांक 24 दिसम्बर, 1972 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 1972 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, 1972

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 1972]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।

उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 1952 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 की धारा 2 में—

(1) उपधारा (1) और उपधारा (1-क) में जहां-जहां शब्द "प्रथम श्रेणी के निःशुल्क असंक्रमणीय कूपन दिये जायेंगे जिनसे वह उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी

भी रेल द्वारा किसी भी समय यात्रा करने का अधिकारी होगा" आ हों उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं, अर्थात्—

"प्रथम श्रेणी के निःशुल्क असंक्रमणीय कूपन दिये जायेंगे जिनसे वह उत्तर प्रदेश के भीतर और 10,000 किलोमीटर प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए नियमों द्वारा अलग से नियत की जाने वाली रीति तथा दिनांक से उत्तर प्रदेश के बाहर, किसी भी रेल द्वारा किसी भी समय यात्रा करने का अधिकारी होगा;" और

(2) उपधारा (1-क) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—उप धारा (1) और (1-क) के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश के बाहर रेल द्वारा यात्रा की दूरी की गणना में, उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित किन्हीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी जो उस यात्रा के दौरान पड़ती हो, निकाल दी जायेगी।"

No. 4422(2)/XVII-V—1-150-72

Dated Lucknow, December 27, 1972

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Upalabdhiyon Ka) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 40 of 1972) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 24, 1972:

THE UTTAR PRADESH LEGISLATIVE CHAMBERS (MEMBERS' EMOLUMENTS) (AMENDMENT) ACT, 1972

[U. P. Act No. 40 of 1972]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments) Act, 1952.

It is hereby enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments) (Amendment) Act, 1972.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint.

Amendment of section 2 of U. P. Act XII of 1952.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments) Act, 1952 :

(i) In sub-sections (1) and (1-A), *for* the words "with free non-transferable first class coupons entitling him to travel within the State of Uttar Pradesh at any time by any railway" wherever occurring the following shall be *substituted*, namely:—

"with free non-transferable first class coupons entitling him to travel within Uttar Pradesh, and in the manner and from a date separately to be prescribed by rules and subject to a maximum limit of 10,000 kilometres per year, outside Uttar Pradesh, at any time by any railway ;" and

(ii) *after* sub-section (1-A), the following Explanation shall be *inserted*, namely :—

"*Explanation*—In computing the distance of journeys by rail outside Uttar Pradesh for the purposes of sub-sections (1) and (1-A), the distance between any two railway stations within the limits of Uttar Pradesh shall be excluded."

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 335 गजट (हि०)—1972—1982+250 (मे०)।